Krishi Kumbh
Online E-Magazine
Www.KrishiKumbh.Com

कृषि कुंभ

E-ISSN: 2582-9769

कृषि कुंभ
हिंदी मासिक पत्रिका

खण्ड 05 भाग 03, (अगस्त, 2025)
पृष्ठ संख्या 11–12

कस्टम हायरिंग सेंटरः छोटे किसानों के बड़े सपने पूरे करने वाला साधन

अमन मोर2[1], नरेंद्र कुमार[2], सुशील[1], नितिन कड़वासरा[1] एवं सुनील कुमार[2]

[1]कृषि यंत्र एवं शक्ति अभियांत्रिकी विभाग, [2]कृषि विज्ञान केंद्र, सिरसा,
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा, भारत।

Email Id: – amanmor27@gmail.com

कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हर किसान के लिए महंगे कृषि यंत्र खरीद पाना संभव नहीं है, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इसी समस्या का समाधान है कस्टम हायरिंग सिस्टम, जिसे हिंदी में कृषि यंत्र किराये पर देना कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत महंगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, रीपर, स्प्रेयर, बायलर आदि यंत्र किसानों को जरूरत के अनुसार किराये पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

कस्टम हायरिंग का उद्देश्य यह है कि किसानों को सस्ते किराये पर आधुनिक कृषि यंत्र मिल सकें ताकि वे अपनी खेती में समय और लागत की बचत कर सकें। इससे न केवल कृषि कार्य आसान होता है, बल्कि उत्पादन लागत घटती है और फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। आजकल कई जगह सरकारें कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर रही हैं। इन केंद्रों में सभी आवश्यक यंत्र उपलब्ध होते हैं। किसान अपनी जरूरत के अनुसार इन्हें घंटों या दिनों के हिसाब से किराये पर ले सकते हैं। इससे किसानों को नई तकनीक से जुड़ने का मौका मिलता है। डिजिटल तकनीक से भी कस्टम हायरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई राज्यों ने मोबाइल ऐप बनाए हैं, जिनसे किसान घर बैठे यंत्र बुक कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ती हैं।

आजकल खेती बिना मशीनो के मुश्किल हो गई है। लेकिन छोटे और सीमांत किसान बड़े–बड़े यंत्र कैसे खरीदें? उनके पास जोत भी छोटी होती है और पैसा भी सीमित। ऐसे में कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे केन्द्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।

ये केन्द्र किसानों को ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, स्प्रेयर जैसी मशीनें किराये पर देते हैं। इससे किसान को एक बार में लाखों रुपये खर्च नहीं करने पड़ते और खेत का काम समय पर भी पूरा हो जाता है।

कस्टम हायरिंग जरूरत क्यों पड़ी?

भारत में कृषि भूमि जोत का आकार छोटा है। लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं। ऐसे किसान बड़े यंत्र नहीं खरीद सकते। अगर कोई किसान ट्रैक्टर या थ्रेशर खरीद भी ले तो उसके पूरे साल उपयोग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे में यंत्र खाली बैठे रहते हैं जिससे आर्थिक हानि होती है। कस्टम हायरिंग से यह समस्या दूर होती है।

ऊपर से खेती का मौसम भी सीमित होता है। जैसे गेहूं की कटाई या धान रोपाई के लिए कुछ ही दिन होते हैं। ऐसे में पूरे साल मशीन रखने से अच्छा है कि जरूरत पड़ने पर किराये पर ले ली जाए।

कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे चलते हैं?

गाँवों और ब्लॉक स्तर पर सरकार या सहकारी समितियाँ ऐसे केन्द्र खोलती हैं। कुछ निजी लोग भी सरकार से मदद लेकर यह काम करते

हैं। केन्द्र पर ट्रैक्टर, बुवाई मशीन, रीपर, थ्रेशर जैसे कई यंत्र रखे जाते हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से यंत्र बुक करता है और तय किराया देकर काम पूरा कर लेता है। किराया आम बाजार से कम रखा जाता है ताकि छोटे किसान भी आसानी से ले सकें। कई जगह ट्रैक्टर के साथ ड्राइवर भी मिल जाता है।

उदाहरण के तौर पर, एक किसान धान की कटाई के लिए रीपर किराये पर लेता है तो उसे लगभग 1000 रुपये प्रति घंटा देने पड़ते हैं। अगर यही मशीन खरीदे तो 3–5 लाख रुपये लग सकते हैं।

किसानों को क्या फायदा?

1. **लागत में कमी** : किसानों को पूरा यंत्र खरीदने की आवश्यकता नहीं होती, केवल काम के अनुसार किराया देना होता है।
2. **समय की बचत :** आधुनिक यंत्रों से खेत जल्दी तैयार होते हैं और कटाई भी समय पर होती है।
3. **फसल नुकसान में कमी :** उचित यंत्रों के प्रयोग से कटाई और थ्रेशिंग में नुकसान कम होता है।
4. **रोजगार के अवसर :** कई युवा किसान कस्टम हायरिंग से खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं।
5. किसान को लाखों रुपये की मशीन खरीदने की चिंता नहीं।
6. खेतों का काम समय पर और जल्दी पूरा होता है।
7. मेहनत, समय और मजदूरी तीनों की बचत।
8. गांव के बेरोजगार युवाओं को ऑपरेटर या तकनीशियन की नौकरी।
9. खेती में लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है।

सरकार की योजनाएँ

देशभर में कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएँ चला रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मेकैनिकलाइजेशन सब–मिशन (SMAM) के तहत मशीन खरीदने पर 40% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। एक केन्द्र खोलने में 15–40 लाख रुपये तक लग सकते हैं, जिसमें शेड, मशीन, ट्रॉली सब शामिल होता है। अभी तक देश में करीब 25 हजार से ज्यादा ऐसे केन्द्र शुरू हो चुके हैं।

कई राज्यों ने मोबाइल एप भी बनाए हैं — जैसे मध्य प्रदेश का 'कृषि यंत्र सेवा' या बिहार का 'फार्म मशीनरी ऐप'। किसान घर बैठे बुकिंग कर सकता है।

चुनौतियाँ

हालाँकि कुछ चुनौतियाँ भी हैं। कई जगहों पर यंत्रों की उपलब्धता सीमित होती है। समय पर यंत्र न मिल पाना, उचित प्रशिक्षण की कमी और मरम्मत की समस्या भी रहती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएँ और किसानों को इनके उपयोग की जानकारी दी जाए। कुछ चुनौतियाँ इस प्रकार हैं :

1. गाँव में कुछ जगह किसान इस सुविधा के बारे में जानते ही नहीं।
2. कई बार मशीनों की समय पर उपलब्धता नहीं हो पाती।
3. रखरखाव और मरम्मत में भी दिक्कत आती है।
4. निजी ऑपरेटर कभी–कभी ज्यादा किराया वसूल लेते हैं।

आगे क्या करना चाहिए?

1. पंचायत और कृषि विभाग को जागरूकता बढ़ानी होगी।
2. युवाओं को मशीन चलाने और मरम्मत का प्रशिक्षण दिया जाए।
3. मोबाइल एप से बुकिंग को और आसान बनाया जाए।
4. ग्राम स्तर पर निगरानी समिति बने ताकि किराया तय हो और कोई मनमानी न कर सके।